

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5148/2026

Shekhar S/o Raju Singh, Aged About 21 Years, Resident Of Ward
No 14 Matili Rathan Police Station Matili Rathan District
Sriganganagar Rajasthan (Presently Lodged In District Jail Sri
Ganganagar)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Pankaj Kumar Gupta

For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

05/05/2026

प्रार्थी-अभियुक्त शेखर की ओर से यह जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना सदर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 216/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 365, 367, 325, 323, 382, 308, 342, 147, 148, 149 भारतीय दंड संहिता के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिए कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त भूपेन्द्र व अन्य अभियुक्तगण गौतम, गगनदीप, कुलजीत उर्फ राणा बाबा, सन्नी, जयपाल का जमानता प्रार्थना-पत्र पूर्व में इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 25.07.2024, 23.01.2025, 08.11.2024, 13.08.2024, 12.07.2024 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त का मामला सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रकरण

के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी-अभियुक्त शेखर को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **शेखर पुत्र राजू सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त पुलिस थाना सदर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 216/2024 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में पचास हजार रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J